


दिनांक

हिसाब या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख
आदेशों को इस
कृता की सामिल
में करी जा

5/8/25 पत्रावली पैरा 23) वादी-प्रातिवादी आदि उक्त)
 प्रातिवादी सं. 1 की मूल्दु टोने की सूचना प्रातिवादी आदिबन्दा
 द्वारा दिनांक 23/6/25 को उत्तर की गई। वादी द्वारा
 वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि प्रातिवादी सं. 1 के नाम पर
 होने को राजस्मान काररकारी आदिनियम की धारा 88, 89
 में दोषणा का अनुरोध चारा गया था। इसके आशिरवत
 वादी द्वारा राजस्मान काररकारी आदिनियम की धारा
 53, 54 में विभाजन तथा धारा 188 में स्मार्ट निषेधज्ञ
 का अनुरोध चारा गया है। वादी द्वारा राजस्मान काररकारी
 आदिनियम की धारा 88, 89 में चारा गया अनुरोध
 प्रातिवादी सं. 1 विशेष पत्र नारायण के विरुद्ध चारा गया
 आशिरवत पत्र नारायण की मूल्दु टोने से वादग्रस्त भूमि
 राजस्मान काररकारी आदिनियम की धारा 40 के अनुसार
 वकील विधि से अन्तर्गत होगा। धारा 53-54
 राजस्मान काररकारी आदिनियम के अन्तर्गत वादी द्वारा
 अमलत वादग्रस्त भूमि के अन्तर्गत सरदारों को पलकर
 नहीं बनाया गया है। इसके कारण वादी का वाद चलने
 योग्य नहीं है तथा राजस्मान काररकारी आदिनियम की
 धारा 188 के अन्तर्गत सरदारों के विरुद्ध स्मार्ट निषेधज्ञ
 का अनुरोध विधिक रूप से उदात्त नहीं किया जा सकता है।
 अतः वादी के वाद में वादी को किसी प्रकार का अनुरोध
 दिया जाना सम्भव नहीं है। वादी का वाद अन्तर्गत
 धारा 88, 89, 188, 53, 54 राजस्मान काररकारी
 आदिनियम आदिनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।
 सुभाषा गणा पत्रावली जैसल कुमार टोकल दाखिल
 पत्रावली तथा नम्बर से कम है।


 5/8/25
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा